न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 36 / 2017

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
जीवाखां पुत्र हाजीखां जाति मोयला कुम्हार (मुसलमान) निवासी बिठुजा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत बिठूजा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 2. लियाकत अली पुत्र जीवाखां जाति मोयला कुम्हार (मुसलमान) निवासी बिठुजा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 11 दिनांक 27.02.1998 जो अप्रार्थी सं. 2 लियाकत अली के नाम ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मनोज पारिक, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 30 / 07 / 2019

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत ग्राम बिठूजा के कामदारों का बास मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 11 दिनांक 27.02.1997 जारी किया गया तथा पंचायत के संकल्प सं. 6 दिनांक 24.04.2016 के द्वारा नवीनीकरण किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार कुल 2007.5 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा जारी उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता के कब्जासुदा हक व स्वामित्व का एक परिसर मय मकान ग्राम बिठूजा की आबादी भूमि मे आया हुआ हैं जिस परिसर मे निगरानीकर्ता व उसके सात पुत्रों लियाकत अली, अनवर, तालिब, शौकत, अली मोहम्मद, शेरखां व सलीम का शामलाती परिसर है तथा उक्त परिसर का निगरानीकर्ता के द्वारा स्वंय व अपने पुत्रों के मध्य बंटवाड़ा किया हुआ नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 2 निगरानीकर्ता का सबसे बड़ा पुत्र है जिसने उसके हिस्से मे आये हुए 45 गुणा 30 फीट के भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु बात की तो उसे इस नाप व क्षेत्रफल का पट्टा लेने की सहमति दी थी। अप्रार्थी सं. 2 ने इसी अनुसार पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष प्रस्तुत किया किन्तु अप्रार्थी सं. 2 ने निगरानीकर्ता को अंधेरे मे रखकर 2007.5 वर्गफुट का पट्टा जारी करवा दिया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 ने पंचायत नियमों मे विहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए किसी भी नियम की पालना नही की गई है, तथा आवेदन से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी कर दिया है, जिससे आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य है। विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा एवं रहवास है जिसके सात पुत्र है तथा सभी का विवादित परिसर पर समान हक व अधिकार है परन्तु अप्रार्थी सं. 2 सबसे बड़ा पुत्र होने से उसने मौके का फायदा उठाते हुए अधिक क्षेत्रफल का पट्टा अपने नाम जारी करवा लिया व शेष छः पुत्रों को उनके हक से वंचित कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा जांच किये बिना ही अप्रार्थी सं. 2 के साथ मिलीभगत कर आलौच्य पट्टा जारी कर दिया। इस प्रकार अप्रर्थी सं. 1 द्वारा मिलीभगत से प्रार्थी के कब्जाशुदा व रहवासीय भूखण्ड का पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है जो निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा निरस्त फरमाया जावें एवं प्रार्थी के कब्जे की

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जांच कर उसके पक्ष मे पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत को निर्देश प्रदान करावें।

3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा संख्या 11 दिनांक 27.02.1997 पूर्णतया विधि सम्मत है जो पंचायत नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। विवादित आवासीय भूमि ग्राम पंचायत भोजारिया की आबादी भूमि थी जिस पर अप्रार्थी सं. 2 को आवासीय पुराना कब्जा होने से ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमे अप्रार्थी सं. 2 के वास्तविक कब्जे अनुसार निर्धारित दर अनुसार शुल्क वसूल कर उक्त पट्टा विलेख जारी किया गया है। प्रार्थी का विवादित भूखण्ड पर कोई कब्जा अथवा रहवास नही हैं तथा भूखण्ड का स्वामित्व ग्राम पंचायत का होने से नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए सशुल्क पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख मे किसी प्रकार की अवैधता, अनियमितता अथवा अपूर्णता नही पाई गई है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र गलत एवं निराधार होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 उसका जायन्दा पुत्र हैं जिसे अपने कब्जा शुदा आवासीय भूखण्ड के हिस्से मे आये हुए भू–भाग 30 गुणा 45 पर रहवासीय पट्टा जारी कराने हेतु सहमति दी गई। इस पर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष इसी नाप अनुसार पट्टा जारी करवाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, किन्तु अप्रार्थी सं. 1 ने आवेदित क्षेत्रफल से अधिक का आलौच्य पट्टा जारी कर दिया, जिससे उसके अन्य पुत्रों के हक–हिस्से की भूमि कम पड़ गई है। इस सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक 13.08.1996 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 30 गुणा 45 फीट के पुराने आवासीय कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया हैं। इस पर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का जो नोटिस जारी किया गया हैं उसमे आवेदित भूखण्ड का नजरी नक्शा अंकित किया हैं किन्तु भुजाओं का नाप अंकित नहीं किया गया। इसी प्रकार स्थल निरीक्षण प्रपत्र मे भी आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया हैं। पत्रावली मे संधारित आदेशिका दिनांक 27.08.1996 मे आवेदित भूखण्ड का नाप 30 गुणा 45 फुट उल्लेखित किया गया हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही मे आवेदित भूखण्ड का नाप 30 गुणा 45 अर्थात 1350 वर्गफुट ही अंकित किया गया हैं जबकि आलौच्य पट्टा विलेख एवं सरपंच की ओर से दिये गये नाप मे इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर 2007.5 वर्गफीट दर्शाया गया हैं जो नियम विरूद्ध एवं सरपंच की ओर से व्यक्तिगत तौर पर की गई अनियमित कार्यवाही के अन्तर्गत होने से आलौच्य पट्टा विलेख काबिल खारिज हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे अनियमित रूप से पट्टा विलेख जारी किया गया है जो अवैध एवं अनियमित कार्यवाही होने से अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 11 दिनांक 27.02.1997 नवीनीकरण दिनांक 24.04.2016 को अपास्त किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर